संख्या-24/2025/296/23-7099/30/2025

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक: 25 मार्च, 2025

विषयः-लोक निर्माण विभाग के टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु ''प्रहरी'' एप्लीकेशन के उपयोग में, मुख्यालय स्थित निस्तारण समिति में नामित मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभागए लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (विश्व बैंक), लोक निर्माण विभाग के स्थान पर नए सदस्यों को नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने प्रस्ताव सं0-28 ईए(सदस्य)2025,दिनांक 03.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु ''प्रहरी'' एप्लीकेशन के उपयोग में मुख्यालय स्थित निस्तारण समिति में नामित सदस्यों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. अतः सम्यक विचारोपरांत लोक निर्माण विभाग की टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु लागू शासनादेश संख्या-14/2020/879/तेईस-7-2020-176(सा0)/06 दिनांक 25.08.2020 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-(1) में प्राविधानित व्यवस्था में संशोधन करते हुए मुख्यालय स्थित निस्तारण समिति में मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (विश्व बैंक), लोक निर्माण विभाग के स्थान पर मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ को नामित किया जाता है।

3. इस संबंध में शासनादेश संख्या- संख्या-14/2020/879/तेईस-7-2020-176(सा0)/06 दिनांक 25.08.2020 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-(1) में प्राविधानित व्यवस्था को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-24/2025/296(1)/23-7099/30/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।

2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।

4- समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सडक), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगत लि0, लखनऊ।

9- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।